33

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1271–तीन/1998 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25 मार्च, 1998 – पारित व्दारा – आयुक्त, रीवा संभाग रीवा – प्रकरण कमांक 138/1995–96 अपील

1– श्रीमती प्रेमिला देवी पत्नि अशोककुमार ब्राहमण
2– श्रीमती प्रणिता देवी पत्नि कमलेशकुमार ब्राहमण
ग्राम खुजहा तहसील गुढ़ जिला रीवा, मध्यप्रदेश –––––आवेदकगण

विरूद्ध

मनोजकुमार पुत्र सुखचन्द्र प्रसाद नावालिग संरक्षक पिता सुखचन्द्र प्रसाद ब्राहमण निवासी ग्राम खजुहा तहसील गुढ़ , जिला रीवा, मध्य प्रदेश –––––अनावेदक

(आवेदकगण के श्री एस.के.बाजपेयी अभिभाषक)
(अनावेदक के श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक-11-01-2019 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, , रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 138/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–3–98 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार गुढ़ के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि भूमिस्वामी चन्द्रिका प्रसाद की मृत्यु हो गई

है जिहोंने अपने जीवन काल में भूमियों की बसीयत उसके नाम की है इसलिये बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार गुढ़ ने प्रकरण कमांक 50 अ–6/1992–93 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 14–7–1994 पारित करके चन्द्रिका प्रसाद के नाम की भूमियों पर अनावेदक का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/गुढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/गुढ़ ने प्रकरण कमांक 28 अ–6/1994–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–1–1996 से अपील बेरूम्याद प्रस्तुत होने से निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, , रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 138/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–3–98 से अपील निरस्त कर दी। आयुक्त, , रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/गुढ़ ने प्रकरण कमांक 28 अ–6/1994–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–1–1996 के पद 4 में इस प्रकार विवेचना की है :–

" प्रकरण में संलग्न सम्मन में यह लेख है कि मुझे सम्मन की जरूरत नहीं है अतः नहीं लूॅगी जिसमें गवाही के हस्ताक्षर बने हैं प्रकरण में जारी इस्तहार भी संलग्न है। प्रकरण में अपी.गण का सहमति पत्र भी संलग्न है जिसमें अपी. गण के बने हस्ताक्षर का मिलान उनके व्दारा अपील प्रस्तुत अपील में लगाए गए अधिवक्ता पत्र में बने हस्ताक्षर से मेल खाते हैं इसी तरह अपी0 प्रणिता देवी के व्दारा प्रस्तुत शपथ पत्र में बने हस्ताक्षर सहमति पत्र में बने उसके हस्ता0 से मेल खाते हैं। उपरोक्त कारणों से अपी.गण का यह कथन कि उन्होंने सहमति नहीं दी यदि उन्हें नामान्तरण कार्यवाही के संबंध में जानकारी नहीं थी, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है , जबकि अपी.गण ग्राम खजुहा की ही निवासी

बताती है। आवेदन पत्र में विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु दिया गया कारण पर्याप्त न होने से आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है तथा अपील बेरूम्याद मान्य की जाती है। ''

आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा भी आदेश दिनांक 25–3–98 में इसी आशय के निष्कर्ष निकाले गये है एंव अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/गुढ़ के आदेश दिनांक 23–1–1996 में निकाले गये निष्कर्ष तथा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 25–3–98 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ तर्को के दौरान अनावेदक के अभिभाषक ने मान. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रीवा के प्रकरण कमांक 232 ए/2006 में पारित आदेश दिनांक 20–12–2008 की एंव मान. प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के अति. न्यायाधीश रीवा के प्रकरण कमांक अपील क–1 ए/09 में पारित आदेश दिनांक 18–6–2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत कर मान. न्यायालयों के आदेशानुसार निगरानी के निराकरण की मांग की है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है एंव माननीय व्यवहार न्यायालय के उक्तादेश की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर पक्षकार पालन कराने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में गुणदोष पर विचार का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, , रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 138/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–3–98 में हस्तक्षेप किये बिना निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर